प्रेस विज्ञप्ति
13/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, श्रीमती पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर के मामले में 12/08/2025 को लगभग 11.33 करोड़ रुपये की संपत्ति का एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें ज़मीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक है।

ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी और अन्य के खिलाफ अवैध रूप से अर्जित धन को वैध आय में बदलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकार को धोखा देने की साजिश रचने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

एलईए ने मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड, एक ऐसी व्यावसायिक संस्था जो अवैध सिगरेट वितरण में लिप्त पाई गई है, के द्वारा संचालित गुप्त सिगरेट व्यापार के बीच संबंध का आरोप लगाया है। यह पाया गया कि इन सिगरेटों की बेहिसाब बिक्री से प्राप्त नकदी को किशोर वाधवानी और उनके सहयोगियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किए गए विज्ञापनों और फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से मेसर्स डीडीपीपीएल के खातों में भेजा गया था। जाँच में फर्जी टैक्स इनवॉइस और अखबारों के बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किए गए आंकड़ों का पता चला। कथित तौर पर, अवैध रूप से अर्जित धन को कई लेन-देन के माध्यम से सफेद किया गया ताकि इसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।